

12/3/22

पत्रावली डाक राष्ट्रीय लोक अदालत
में भिजाई गई। वास्तव में नया पत्र
में खाली स्थान भर चुका है।

प्राप्त पत्र RTA 212 का कोई भी आदेश
नहीं है। अतः प्रथम पत्र
212 RTA खाली स्थान भर चुका है।
पत्रावली प्रेषण युक्त होना चाहिए।
कुमारी राजेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी

विमान
डिलेरी

राष्ट्रीय लोक अदालत

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
अलवर (राज०)

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
अलवर (राज०)

राष्ट्रीय लोक अदालत
अलवर